


316 कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून। 04
संख्या: /सात लाई०-विविध-76/लोक सभा निर्वाचन-2024 देहरादून: दिनांक: अप्रैल, 2024
::आदेश::


उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या: 243/XXIII-1/2024-ई० फाइलिंग/2024 आबकारी अनुभाग देहरादून: दिनांक: 27, मार्च, 2024 व कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-1682/XXV-25/2024 देहरादून दिनांक 24, मार्च, 2024, पत्र संख्या-1532/XXV-07/2024 देहरादून दिनांक 16, मार्च, 2024, पत्र संख्या-1534/XXV-07/2024 देहरादून दिनांक 20, मार्च, 2024 एवं पत्र संख्या-1535/XXV-13/2007, देहरादून दिनांक 21, मार्च, 2024 के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और निर्दिष्ट निर्वाचनों के संचालन हेतु मतदान समाप्त होने से 48 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान की समाप्ति तक मतगणना के दिन तथा यदि आवश्यक हुआ तो पुनर्मतदान के दिन शराब की बिक्री पर रोक से सम्बन्धित कानून के अधीन मद्य निषेध दिवस घोषित किया जाना है। उक्त अवधि में किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, बलबों और शराब भेजने तथा वितरण करने वाले अन्य संस्थाओं को शराब बेचने तथा पेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

तदक्रम में उत्तर प्रदेश तथा अन्य सीमावर्ती राज्य हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा की लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से लगी उत्तराखण्ड राज्य की सीमाओं पर एवं उत्तराखण्ड राज्य में उपरोक्तानुसार मतदान दिवस दिनांक 19.04.2024 एवं मतगणना दिवस दिनांक 04 जून, 2024 की तिथि को मद्य निषेध दिवस घोषित किया जाता है।


(प्रशान्त अर्य)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

317-25
संख्या: /सात लाई०-विविध-76/लोक सभा निर्वाचन-2024/देहरादून/तददिनांक।
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
4. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व हरियाणा।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. संयुक्त आबकारी आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
8. उप आबकारी आयुक्त, देहरादून व हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर व नैनीताल परिक्षेत्र।
9. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को उपरोक्त के अनुपालनार्थ।


(प्रशान्त अर्य)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।